उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-5/102/एक-1-2016-1(20)/2015

लखनऊ: दिनॉक: 28 जनवरी, 2016

<u>अधिसूचना</u>

<u>आदेश</u>

उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन 1951) की धारा 3 के खण्ड (25) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल घोषणा करते है कि इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनॉक से नीचे अनुसूची में सविस्तार वर्णित जिला फतेहपुर की तहसील खागा के राजस्व ग्राम चक सलेमपुर गोली को विभाजित किया जायेगा और एक नया राजस्व ग्राम चक सलेमपुर गोली द्वितीय होगा, किन्तु इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय, जो उक्त ग्राम के संबंध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग करता रहा है, में पहले ही प्रारम्भ की गयी या लम्बित किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

2; उपर्युक्त खण्ड के अधीन, राज्यपाल अग्रतर निदेश देते है कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

<u>अनुसूची</u>

क्र0सं0	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेअर में)	ग्राम का नाम जिसमें स्तम्भ-2 में उल्लिखित गाटा स्थित है और उन्हें अपवर्जित किया जा रहा है	ग्राम का नाम जिसमें स्तम्भ-2 में उल्लिखित गाटा सम्मिलित किये जायेंगे।	स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेअर में लिखा जाय)
1	2	3	4	5	6
1	345	0.4615	चक सलेमपुर गोली	चक सलेमपुर गोली द्वितीय	**18.3086**
2	346	0.7772			
3	347	0.4210			
4	348	0.4129			
5	349	0.2753			
6	350	0.1943			
7	351	0.1498			

shasnadesh.up.nic.in

8	352	0.3886			
9	353	0.2348			
10	354	0.5262			
11	355	0.5424			
12	356	0.8015			
13	357	0.3076			
14	358	0.0405			
15	359	0.6638			
16	360	0.4048			
17	361	0.2753			
18	362	0.6153			
19	363	0.0486			
20	364	0.5100			
21	365	0.4453			
22	366	0.3724			
23	367	0.2996			
24	368	0.1458			
25	369	0.5991			
26	370	0.6638			
27	371	0.0567			
28	372	0.0162			
29	373	0.3461			
30	374	0.1882			
31	375	0.0648			
32	376	0.0324			
33	377	1.1010			
34	378	0.8257			
35	379	0.3157			
36	380	0.2672			
37	381	0.6596			

shasndesh.up.nic.in

38	382	0.0810			
39	383	0.6153			
40	384	0.81760			
41	385	0.22670			
42	386	0.7124			
43	387	0.31170			
44	388	1.0929			

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

shasnadesh.up.nic.in